2017/00357

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री दिपेन्द्रसिंह (आर.टी.आई. एक्टिविस्ट) द्वारा नरपतसिंह त्रिलोकपुरा हाऊस, इन्द्रा कॉलोनी, एफ.सी.आई.गोदाम के पीछे, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 196 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.17	**: निर्णय :** 1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। सहायक लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि हाजिर। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 24.07.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 2660 दिनांक 29.9.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा सन् 2017 में आयोजित कैम्प में खातेदारी अधिकार के संबंध में जानकारी चाही गई है। कैम्प के दौरान खातेदारी अधिकार जारी करने के संबंध में अपीलार्थी / प्रार्थी को जवाब पत्रांक 2617 दिनांक 22.9.17 को प्रेषित किया जाचुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रार्थी / अपीलान्ट को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी सूचना से संतुष्ट है। 5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 21.11.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official